न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–1, गोरखपुर।

चुनाव याचिका संख्या–08/2023
कुसमावती————बनाम————प्रियंका।

दिनांक–28.04.2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थनापत्र 66ग पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

विपक्षी सं0–1 प्रियंका सिंह की ओर से प्रार्थना पत्र 66ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उसके द्वारा दाखिल सूची गवाहान के कुछ साक्षियों का साक्ष्य होना अवशेष रहा और पत्रावली प्रतिवादी के शेष साक्ष्य हेतु नियत रही कि दिनांक 03.04.2025 को उसने एक प्रार्थनापत्र दाखिल कर दिया, जिसके सुनवाई हेतु पत्रावली नियत होने लगी। उक्त प्रार्थनापत्र को न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 11.04.2025 से निस्तारित करते हुये पत्रावली को बहस हेतु नियत कर दिया गया है। जबकि अभी प्रार्थी/प्रतिवादी का साक्ष्य समाप्त नहीं हुआ है तथा पत्रावली देखने से यह भी ज्ञात हुआ है कि विपक्षी द्वितीय एवं तृतीय पक्ष पर न्यायालय द्वारा तामीला पर्याप्त अवधारित किया गया, लेकिन विपक्षी द्वितीय एवं तृतीय पक्ष के द्वारा जबावदावा न देने एवं अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध मुकदमे की कार्यवाही के बावत कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी/विपक्षी को शेष साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये विपक्षी द्वितीय एवं तृतीय पक्ष के बाबत मुकदमे की कार्यवाही के संदर्भ में न्यायोचित आदेश पारित करने की याचना की गयी है।

याची की ओर से प्रार्थनापत्र का मौखिक विरोध करते हुये कथन किया गया कि विपक्षी सं0–1 प्रियंका सिंह जानबूझकर मामले को लंबित रखने के लिये तरह तरह के प्रार्थनापत्र दे रही है तथा वह अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहती है। अतः प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि याची कुसमावती के द्वारा यह चुनाव याचिका विपक्षीगण प्रियंका सिंह आदि के विरूद्ध यह कहते हुये योजित की गयी है कि विपक्षी के द्वारा अन्य विपक्षीगण के साथ मिलकर अनुचित तरीकों का प्रयोग करते हुये चुनाव में धांधली कर याची को प्राप्त मत विपक्षी के खाते में गणना कर विपक्षी को विजयी घोषित किया गया है। आदेशपत्र दिनांकित 13.02.2024 के अनुसार विपक्षी सं0–2 ता 9 एवं विपक्षी सं0–10, 11, 12 के विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय रूप से अग्रसारित की जा चुकी है। अतः विपक्षी–1 प्रियंका सिंह की ओर से इस संदर्भ में दिया गया प्रार्थनापत्र 66ग गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है, जिसका उद्देश्य माननीय उच्च न्यायालय के शीर्घ निस्तारण के आदेश के बावजूद मामले को लंबित रखना है। अतः इस संबंध में विपक्षी सं0–1 प्रियंका सिंह की ओर से दिया गया प्रार्थनापत्र 66ग आंशिक रूप से निरस्त किया जाता है। जहॉ तक विपक्षी के द्वारा साक्ष्य हेतु अवसर की बात की गयी है, उसके द्वारा डी0डब्लू04 के बाद दिनांक 25.02.2025, 03.03.2025, 18.03.2025, 25.03.2025, 03.04.2025, 09.04.2025 को भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत न कर मामले को जानबूझकर लंबित रखना चाहती है, परन्तु मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों दृष्टिगत रखते हुये विपक्षी को साक्ष्य का अवसर प्रदान किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र मु0. 3,000/–रूपये हर्जे पर आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये विपक्षी को साक्ष्य का एक अंतिम अवसर दिनांक 30.04.2025 के लिये प्रदान किया जाता है।

अपर जिला जज, न्यायालय सं0–1,
गोरखपुर।

Digitally signed by CHANDRA BHAN SINGH
Date: 2025.04.28 16:39:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court